



2026:AHC:53137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9657/2026

रामरतन सरोज एवं 10 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अखिलानंद पाण्डेय, सुनील कुमार यादव

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रमेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. कुछ बहस के पश्चात, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि वर्तमान रिट याचिका को बल न दिए जाने के आधार पर इस स्तर पर निरस्त कर दिया जाए।
2. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. रिट याचिका को इस चरण पर निरस्त किया जाता है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी